6 सामान्य चेतना

मानव अधिकार

H6XJ7T

समाचार पत्र पढ़ते–पढ़ते सरोज की निगाहें एक समाचार पर अटक गईं– ''मानव अधिकार दिवस पर आज अनेक कार्यक्रम'' उसने दिनांक देखा, 10 दिसम्बर। उसने पूरा समाचार पढ़ा। किसी का भाषण था तो कहीं निबन्ध, कहानी या चित्रकला प्रतियोगिता। सरोज अपनी दीदी के पास पहुँची और उनसे मानव अधिकार के बारे में बताने को कहा। दीदी उसे बताने लगीं।

दुनिया में सभी लोगों को जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त हैं जिन्हें आज हम मानव अधिकार कहते हैं। ये अधिकार सभी के हित और सुख–चैन के लिए होते है। जब हम एक–दूसरे के इन अधिकारों का ध्यान रखते हैं तो हर व्यक्ति सुख, शान्ति और खुशी का अनुभव करता है।

मानव अधिकार

आवास	शिक्षा
सुरक्षा	संस्कृति
भोजन	समानता
स्वास्थ्य	स्वतंत्रता
विवाह एवं संतान	स्नेह एवं सद्भाव
अभिव्यक्ति, गरिमा	सामुदायिक
उचित पारिश्रमिक	सहभागिता
अपने हितों की रक्षा	नागरिकता/राष्ट्रीयता
शांति, लोकतंत्र	निष्पक्ष सुनवाई और बचाव

इन अधिकारों को ध्यान से देखें एवं समझें।

दिए गए चार्ट को ध्यान से पढ़िए। इसमें मानव अधिकार दिए गए हैं जो सभी के लिए समान हैं।

जरा सोचो, यदि तुम्हारे परिवार में ऐसा हो तो क्या हो –

1. सदस्य आपस में झगड़ते हों,
2. कोई सदस्य भूखा रहे और कोई भरपेट खाता हो,
3. कुछ सदस्य अस्वस्थ रहते हों,
4. आपस में बातचीत करने पर प्रतिबंध हो,
5. सदस्य अशिक्षित हों,
6. घर में सुविधाएँ न हों,
7. सदस्यों के साथ भेदभाव किया जाता हो,
8. सदस्य आपस में सहयोग न करते हों,
9. आपस में असुरक्षित अनुभव करते हों।

दीदी ने बताना जारी रखा– हमारी दुनिया भी एक विशाल परिवार है। इसमें रहनेवाला प्रत्येक व्यक्ति इस परिवार का सदस्य है। इसमें हर सदस्य को समान अधिकार प्राप्त हैं। चाहे वह किसी भी रंग, जाति, धर्म या देश का हो। चाहे स्त्री हो या पुरुष, अमीर हो या गरीब, बच्चा हो या बड़ा।

दीदी ने पूछा– बताओ ये बातें सत्य हैं या असत्य।

1. लड़कियाँ कमजोर और लड़के ताकतवर होते हैं इसलिए लड़कियों से लड़के श्रेष्ठ हैं।
2. गरीबों के बच्चों को अमीरों के बच्चों की तरह शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है।
3. निर्धन को भी मकान चाहिए।
4. विश्व में शांति होनी चाहिए।
5. मालिक मनमाना वेतन दे सकता है।
6. सारी दुनिया के लोगों में प्रेम होना चाहिए।
7. बच्चों से नौकरों जैसे काम ले सकते हैं।
8. धर्म के नाम पर दंगा नहीं करना चाहिए।

सरोज ने भी दीदी की बातों के सही–सही उत्तर दिए। उसने दीदी को बताया कि समाचार पत्रों के कुछ समाचार उसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वह इन समाचारों की बात कर रही थी।

मासूम बच्चे की बलि चढ़ाई।

दो समूहों में भड़के दंगे में कई घायल।

पुलिस हिरासत में मौत।

आतंकवादियों के हमले में कई यात्री मरे।

दहेज लोभियों ने बहू को जलाया।

अबोध बालक का अपहरण, फिरौती की माँग।

जेल में कैदियों के साथ दुर्व्यवहार।

तीन मतदान केंद्रों पर जबरन कब्जा।

फोन पर गंदी बातें।

क्षेत्र में गुंडे का आतंक।

दीदी ने सरोज को बताया कि ये सभी मानव अधिकार के हनन के मामले हैं। इस प्रकार की घटनाओं से लोगों को अत्यधिक कष्ट होता है, यहाँ तक कि कई जानें भी चली जाती हैं।

सरोज से अब रहा न गया, उसने मुट्ठी भींचते हुए कहा – 'दीदी, क्या हम ऐसे गलत काम रोक नहीं सकते ?

दीदी ने कहा कि सारी दुनिया में ऐसी अमानवीय घटनाओं को रोकने के प्रयास हो रहे हैं।

द्वितीय विश्व युद्ध के भयंकर नरसंहार के बाद भविष्य में ऐसी घटनाएँ न होने देने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसम्बर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा की। इसलिए इस दिन को अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस' के रूप में मनाया जाता है। इस घोषणा की प्रस्तावना में सभी सदस्य देशों ने अपने इस संकल्प की घोषणा की है–

''वे अपनी आगे आनेवाली पीढ़ियों को युद्ध के दुष्कर परिणामों से बचाएँगे, मूलभूत मानव

अधिकारों में अपनी आस्था व्यक्त करेंगे और व्यापक स्वतंत्रता के लिए जीवन–स्तर में सुधार लाने के उद्देश्यों सामाजिक प्रगति को प्रोत्साहित करेंगे।''

इस घोषणा पत्र में महिलाओं एवं पुरुषों के समान अधिकारों की बात कही गई है। इसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि –

''सभी व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र हैं और अपनी गरिमा एवं अधिकारों के मामले में बराबर हैं। इन अधिकारों और स्वतंत्रता को प्राप्त करने में लोगों के बीच नस्ल, वर्ग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति, उत्पत्ति, सम्पत्ति अथवा अन्य विचारधारा, राष्ट्रीयता अथवा सामाजिक उत्पत्ति, सम्पत्ति अथवा अन्य स्तरों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।''

सन् 1976 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा लागू प्रतिज्ञा–पत्रों में जिन मानव अधिकारों को प्रोत्साहित एवं संरक्षित किया गया है, उनमें से प्रमुख हैं :–

न्यायपूर्ण एवं उचित परिस्थितियों में काम का अधिकार।

सामाजिक संरक्षण, उचित जीवन स्तर और शारीरिक एवं मानसिक सुख के लिए उपलब्ध किए जा सकने वाले उच्चतम स्तरों का अधिकार।

शिक्षा और सांस्कृतिक स्वतंत्रता एवं वैज्ञानिक प्रगति से मिले लाभों का उपभोग लेने का अधिकार।

सन् 1993 में विएना के मानव अधिकारों पर आयोजित विश्व सम्मेलन में 171 देशों ने आतंकवादी गतिविधियों को मानव अधिकारों पर 'चोट' स्वीकार किया। लोकतंत्र को एक मानव अधिकार माना।

सरोज ने दीदी से पूछा – 'दीदी, क्या हमें अपने अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के पास जाना पड़ता है ?

दीदी उसके भोलेपन पर मुस्कराईं और बोलीं– 'नहीं मेरी नन्हीं परी, हमारे देश में भी अक्टूबर, 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और उसके बाद राज्यों में भी मानव अधिकार आयोग स्थापित हो चुके हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य में भी 16 अप्रेल 2001 को मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया है जिसका मुख्यालय रायपुर में है।

दीदी की बातें सरोज को बहुत अच्छी लगीं और उसने संकल्प लिया कि वह मानव अधिकारों के लिए अपने साथियों को भी जागृत करेगी।

बाल विवाह

गर्मी की छुट्टियों में बबलू अपने दादा–दादी के पास गाँव आया है। गाँव में उसकी दोस्ती पास में ही रहनेवाले एक लड़के रवि से हो गई। एक दिन वह शाम को रवि के घर गया और बोला, "कहीं से बाजा बजने की आवाज आ रही है।" चलो देखें, क्या हो रहा है। रवि बबलू से कहा "वहाँ चाचाजी भी गए हुए हैं। मंगलू

काका के यहाँ से निमंत्रण आया था। आज मंगलू काका की लड़की गीता की सगाई होने वाली है।" दोनों जल्दी ही मंगलू काका के घर पहुँच गए।

बबलू – रवि, गीता तो बहुत छोटी उम्र की लग रही है, अभी मुश्किल से 6वीं–7वीं में पढ़ती होगी।

रवि – हाँ, सातवीं कक्षा मे पढ़ रही है।

बबलू – तब तो उसकी उम्र 13–14 साल की होगी और इतनी छोटी उम्र में शादी क्यों कर रहे हैं?

(चाचाजी का प्रवेश)

चाचा जी – क्यों बबलू, रवि तुम दोनों यहाँ क्यों बैठे हो ?

बबलू – चाचा जी! हम यह जानना चाहते हैं कि गीता तो छोटी लग रही है, क्या इस उम्र में उसकी सगाई या शादी होनी चाहिए?

चाचा जी – नहीं। कम उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए और कोई ऐसा करता है तो उस लड़की के माता–पिता को पुलिस पकड़कर सजा दिलवाती है।

रवि – पुलिस क्यों सजा दिलवाएगी? अरे भाई शादी विवाह माँ–बाप की मर्जी से होता है। इसमें भला पुलिस क्या कर सकती है ?

बबलू – हाँ, चाचा जी। आप भी तो यहीं आमंत्रित है, जानकारी प्राप्त कर समाधान निकालिए न।

चाचा जी – चलो मंगलू के पास चलकर चर्चा करते हैं।

कम उम्र में विवाह करना दंडनीय अपराध क्यों है? गाँवों में कम उम्र में विवाह होने के क्या कारण हैं? शिक्षक से चर्चा करें।

मंगलू काका – अरे बबलू बेटा, तुम शहर से कब आए? तुम्हारे माता–पिता सकुशल तो हैं?

बबलू – हाँ काका जी! मैं कल ही आया हूँ, घर में सभी कुशल हैं।

चाचा जी – हाँ भाई! मंगलू! आप यह तो बताइए कि गीता की शादी इतनी छोटी उम्र में क्यों कर रहे हैं।

मंगलू काका – मेरी भी शादी तो बचपन में हुई थी; अतः मैं भी अपनी बिटिया की शादी बचपन में ही करना चाहता हूँ। पास ही के गाँव में एक अच्छा रिश्ता मिल गया है। लड़का चार भाइयों में सबसे बड़ा है। मैं घर के काम–काज के लिए उसे अपने पास ही रखूँगा। वह मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा।

चाचा जी – क्या आप जानते हैं कि बाल–विवाह के क्या दुष्परिणाम होते हैं ?

मंगलू काका – मैं तो अनपढ़ हूँ, तुम पढ़े–लिखे हो, देश दुनिया देखे हो। बाल–विवाह से होनेवाले दुष्परिणामों को समझा सकते हो।

चाचा जी – आप तो अपने गाँव के गोबर्धन की बहू को जानते ही होंगे। गोबर्धन ने अपने

लड़के की शादी छोटी उम्र में कर दी थी। उसकी बहू भी कम उम्र की थी। ससुराल में आने पर कम उम्र में ही पारिवारिक एवं घरेलू काम का बोझ अधिक हो गया जाने के कारण वह शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो गई । गोबर्धन अपनी बहू की बीमारी से हमेशा परेशान रहता है। इसीलिए कहता हूँ कि कभी भी बच्चों की शादी छोटी उम्र में नहीं करनी चाहिये। कम उम्र में शादी होने के कई और दुष्परिणाम होते हैं।

बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणाम

1. आगे की पढ़ाई में रुकावटें आना ।
2. मानसिक विकास न हो पाना ।
3. शारीरिक परिपक्वता के पूर्व ही माँ बनने का बोझ उठाना।
4. शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमजोर होना। प्रसूति के समय माँ/शिशु की मृत्यु हो जाना।
5. अशिक्षा, बेरोजगारी के कारण गरीबी व कुंठा का शिकार होना।

मंगलू काका – तुमने मेरी आँखें खोल दी। मैं अपनी लड़की को इस मुसीबत में नहीं डालूँगा। आप ही बताइए कि बच्चों की शादी किस उम्र में करनी चाहिए।

चाचाजी – संविधान के अनुसार 18 वर्ष से अधिक उम्र की लड़की तथा 21 वर्ष से अधिक उम्र के लड़के ही विवाह योग्य माने गए हैं। इससे कम उम्र में विवाह करना दंडनीय अपराध है।

अब तो स्त्रियों पर होने वाले अन्याय, अत्याचार के खिलाफ कई समाज सेवी संगठन आवाज उठाने लगे हैं। महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण आदि की सुविधा जिला, तहसील एवं विकास खंड स्तर पर उपलब्ध करा रहे हैं। परंतु इन सभी सुविधाओं का लाभ तभी लिया जा सकता है जब लड़की पढ़ी–लिखी हो और वह अपने अधिकारों से भली–भाँति परिचित हो ।

1. बाल–विवाह एक सामाजिक बुराई है। इसे दूर करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे। शिक्षक से चर्चा करें।
2. वर्तमान समय में बालिका शिक्षा के विकास के लिए शासन द्वारा क्या–क्या प्रयास किये जा रहे हैं। शिक्षक से जानकारी प्राप्त करें।

उसी समय मंगलू के नए रिस्तेदार आ गए। मंगलू ने हाथ जोड़ते हुए अपने रिश्तेदार से कहा, "मैं आपके यहाँ अपनी लड़की की शादी अभी नहीं कर सकता। जब मेरी लड़की पढ़–लिखकर बड़ी हो जाएगी और उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो जाएगी तभी मैं अपनी लड़की की शादी आपके यहाँ करूँगा। नये रिश्तेदार भी मंगलू की बातों से सहमत हो गये।

रवि और बबलू चाचा जी के प्रयास से बहुत खुश हुए। गाँववालों ने भी उनके इस प्रयास की सराहना की तथा धन्यवाद दिया।

अभ्यास के प्रश्न

1. रिक्त स्थान को भरिए –

1. विवाह के लिए लड़के को ——— वर्ष और लड़की को ——— वर्ष का होना अनिवार्य है।
2. कम उम्र में विवाह करना कानूनन ——— है।
3. बाल विवाह से ——— बेरोजगारी और कुंठा बढ़ती है।
4. संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसम्बर सन् ——— को मानव अधिकारों की घोषणा की गई।

2. कॉलम 1 व 2 का सही मिलान कीजिए –

1		2
1. जीवन का अधिकार	–	1. दलित व्यक्ति को पूजा स्थल में प्रवेश।
2. स्वतंत्रता का अधिकार	–	2. पुलिस की हिरासत में मृत्यु।
3. समानता का अधिकार (स्थान पर)	–	3. बच्चों को स्कूल भेजना।
4. स्वास्थ्य का अधिकार देना	–	4. किसी व्यक्ति को राज्य से निकालना।
5. शिक्षा का अधिकार	–	5. बच्चों को पोलियो की खुराक न पिलाना।

3. निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए –

1. मानव अधिकार क्या है ?
2. कोई 5 मानव अधिकार लिखिए।
3. हमें दुनिया के किसी भी व्यक्ति से भेदभाव क्यों नहीं करना चाहिए ?
4. बाल अधिकार क्या–क्या हैं?
5. बाल विवाह किसे कहते हैं?
6. बाल विवाह के क्या–क्या दुष्परिणाम होते हैं?
7. लड़का और लड़की की शादी किस उम्र में करनी चाहिए ?
8. बालक एवं बालिका के साथ समान व्यवहार किया जाय इस पर एक परिवार के क्या–क्या कर्त्तव्य होनी चाहिए?
9. अपने मुहल्ले अथवा गाँवों में पता करें कि महिलाएँ कौन–कौन–से कार्य कर रही हैं जिसके कारण वे आत्मनिर्भर बनें?
10. आपका विवाह यदि कम उम्र में कर दिया जाय तो क्या होगा?

4. योग्यता विस्तार–

M77F9G

अगर आपकी बहन कक्षा–9 में पढ़ती है उसकी उम्र 15 वर्ष है। अगर उसकी शादी तय हो जाए तो आप क्या करेंगे।